न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—206/2018/225 (2018/00206)

1. सुवा पुत्र स्व0 श्री भोलू जाति जाट, मृतक) जरिये वारिसानः—
   1/1— श्रीमती भंवरी पत्नि स्व0 सुवा,
   1/2— भंवरलाल खीचड़ पुत्र उगमाराम खीचड़ (स्व सुवा पुत्र भोलू के वसीयती वारिस) जाति जाट, नि0 जाजोता, तह0 रूपनगढ़, जिला अजमेर

अपीलांटस

बनाम

1. जमना पुत्री सुवा पत्नी श्री गिरधारी, जाति जाट, हाल निवासी बागड़ों की ढाणी सुरसुरा, तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर ।
2. नर्मदा पुत्री सुवा पत्नी सुखराम, जाति जाट, हाल निवासी देवन्दा की ढाणी, बीलू, तहसील मकराना, जिला नागौर ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ़, जिला अजमेर ।
4. उप पंजीयक, रूपनगढ़, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ दिनांक 14.6.2018 अंतर्गत प्रकरण संख्या 1607/2018.

उपस्थितः—

1. श्री रामसुख चौधरी, वकील अपीलांट ।
2. श्री सुण्डाराम जाट, रेस्पो0 संख्या 1.
3. रेस्पो0 संख्या 2 अनुपस्थित ।
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 3 व 4.

निर्णय

दिनांकः— 31.8.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ के आदेश दिनांक 14.6.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 के समक्ष वाद के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर कथन किया कि ग्राम जाजोता स्थित आराजी खसरा नंबर 383 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नंबर 384 रकबा 44 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 44 बीघा 16 बिस्वा भूमि के खातेदार काश्तकार रेस्पो0 के दादा भोलू पुत्र गुल्ला थे । जिनके स्वर्गवास पर वादग्रस्त आराजियात का विरासत का नामांतकरण संख्या 152 दिनांक 2.6.1992 से मृतक के स्थान पर रेस्पो0 के पिता सुवा पुत्र भोलू एवं अन्य वारिसान के नाम दर्ज किया गया अर्थात् वादग्रस्त आराजियात रेस्पो0 की पैतृक आराजियात होकर वादग्रस्त आरायिजात में से 1/15 हिस्सा रेस्पो0 का निहित होने के उपरांत भी अप्रार्थी/अपीलांट वादग्रस्त आराजियात को अवैधानिक रूप से हस्तातंरण करने पर आमादा है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी को ताफैसला मूल वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय दिनांक 14.6.2018 द्वारा प्रार्थी/रेस्पो0

संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलांट को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने के आदेश प्रसारित किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है। अपीलांट द्वारा परीक्षण न्यायालय के समक्ष जवाब प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 3.9.1958 की प्रतियां प्रस्तुत कर प्रथम दृष्टया प्रकरण सिद्ध कर दिया था कि वादग्रस्त आराजियात अपीलांट व अपीलांट के भाई ग्राम जाजोता के खसरा नंबर 114, 115, 117, 118 व खसरा नंबर 166/1247 कुल रकबा 44 बीघा 5 बिस्वा हाल खसरा नंबर 384 रकबा 44 बीघा 5 बिस्वा भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 3.9.1958 को तत्कालीन खातेदार उगम कंवर पत्नी हनुमान सिंह एवं मोहन कंवर पत्नी नाहरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम जाजोता से क्रय कब्जा काश्त प्राप्त किया था । इसी प्रकार साबिक खसरा नंबर 116 रकबा 11 बिस्वा जिसके हाल खसरा नंबर 383 रकबा 11 बिस्वा गैर मुमकिन चाह जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 3.9.1958 को तत्कालीन खातेदार नाथूसिंह पुत्र चन्दसिंह व नारायणसिंह पुत्र सावतसिंह जाति राजपूत, निवासी ग्राम जाजोता से क्रय कर अपीलांट एवं अपीलांट के भाई क्रमशः मगना, मूला, रामेश्वर, सावता पुत्रगण भोलू की क्रयशुदा आराजियात होकर अपीलांट एवं अपीलांट के भाईयों की स्वअर्जित आराजियात है ऐसी स्थिति में रेस्पो0 को अपीलांट के जीवनकाल में वादपत्र एवं अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई विधिक वादकारण उत्पन्न ही नहीं हुआ था । ऐसी स्थिति में परीक्षण न्यायालय को रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को खारिज करना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने अपीलांट को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबदं करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अपीलांट ग्राम जाजोता स्थिति विवादित आराजियात पर संवत् 2010 से भौतिक रूप से रिकार्डेड खातेदार काश्तकार की हैसियत से आज दिनांक लगातार काबिज काश्त चला आ रहा है तथा स्वंय रेस्पो0 ने वादग्रस्त आराजियात अपीलांट के नाम दर्ज रिकार्ड होना स्वीकार किया है । ऐसी स्थिति में एक रिकार्डेड खातेदार काश्तकार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में परीक्षण न्यायालय ने कानूनी त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 को रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों एवं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावजी साक्ष्यों का विधिक रूप से परीक्षण कर अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु निर्धारित बिन्दु प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति के बिन्दुओं का विधिनुसार परीक्षण कर प्रकरण का निस्तारण करना चाहिये था किन्तु उन्होंने ऐसा न कर अपने में निहित अधिकारिता का दुरूप्योग कर रेस्पो0 को अवांछित लाभ पहुंचाने की गरज से अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे । विद्वान वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आर0बी0जे0 2003 (10) पेज 592, आर0आर0डी0 2002 पेज 280, आर0बी0जे0 1995 पार्ट–5 पेज 438 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने लिखित बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधिसम्मत् है । विवादित भूमि खसरा नंबर 383 रकबा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 384 रकबा 44 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 44 बीघा 16 बिस्वा प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 के

दादा भोलू पुत्र गुल्ला के नाम खातेदारी में दर्ज थी । रेस्पो0 संख्या 1 के दादा भोलू पुत्र गुल्ला के फौत होने के उपरांत विरासत का नामांतकरण संख्या 152 दिनांक 2.6.1992 को मृतक के स्थान पर रेस्पो0 संख्या 1 के पिता सुवा पुत्र भोलू एवं अन्य के वारिसान के नाम दर्ज किया गया है । इसमें से रेस्पो0 संख्या 1 के पिता सुवा पुत्र भोलू का संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा है । इस आधार पर वादग्रस्त आराजी रेस्पो0 संख्या 1 को उसके दादा से प्राप्त हुई है । इसलिये वादग्रस्त आराजी रेस्पो0 संख्या 1 की पैतृक भूमि है । रेस्पो0 संख्या 1 के परिवार में रेस्पो0 संख्या 1 की बहन नर्मदा एवं रेस्पो0 संख्या 1 के पिता सुवा (हाल में मृतक) इस प्रकार रेस्पो0 संख्या 1 का वादग्रस्त आराजी में से 1/5 हिस्से में से तीसरा हिस्सा निहित है । लेकिन रेस्पो0 संख्या 1 के पिता सुवा पुत्र भोलू का स्वर्गवास हो जाने के कारण रेस्पो0 संख्या 1 का वर्तमान में 1/10 हिस्सा निहित है । हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 के प्रावधानों के अनुसार रेस्पो0 संख्या 1 का वादग्रस्त आराजी में 1/10 हिस्सा निहित है जिसकी खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी है । रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा धारा 212 राज0काश्त0अधि0 का प्रार्थना पत्र अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत करने पर अधी0न्याया0 द्वारा दिनांक 1.8.2016 को रेस्पो0 संख्या 1 के 1/5 हिस्सा में से तीसरा हिस्सा अर्थात् 1/15 हिस्सा भूमि के संबंध में प्रार्थी संख्या 1 को बैचान से पाबंद करते हुए तथा अप्रार्थी संख्या 3 को रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने एवं अप्रार्थी संख्या 4 को बैचान, हस्तातंरण , रहन, बक्शीश, दान आदि से अंतरण प्रलेख का पंजीयन नहीं करने हेतु आगामी तारीख पेशी तक अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया था । अप्रार्थी/रेस्पो0 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष अप्रार्थी/अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष दिनांक 14.6.2018 को सहमति देकर आदेश पारित करवाया गया था । विधि का यह सिद्धांत है कि सहमति के आधार पर पारित आदेश के विरूद्ध अपील विधिनुसार पोषणीय नहीं है । इस आधार पर अपील विधिनुसार प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है । माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार यदि वादग्रस्त आराजी के संबंध में प्रारंभ से ही स्थगन आदेश पारित किया जाता है तो उस स्थगन आदेश को आगे भी निरन्तर जारी रखना चाहिये । ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 द्वारा पारित स्थगन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायसंगत नही है । अपने कथनों के समर्थन में 2010 (1) एस.सी.सी. पेज 689, आर0बी0जे0 1998 पार्ट–5 पेज 381 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये । प्रकरण प्रथम दृष्टया रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन व अपूर्तनीय क्षति के बिन्दु भी रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष में है । यदि अपीलांट को वादग्रस्त आराजियात को रहन, बैचान, दान आदि करने से नहीं रोका गया तो वाद की बहुलता बढ़ेगी एवं रेस्पो0 संख्या 1 को अपूर्णीय क्षति होगी । इस संबंध में आर0बी0जे0 2010 (17) पेज 178, आर0बी0जे0 2000 (7) नं 483 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये । रेस्पो0 का हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 के अनुसार पिता की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है । अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे ।

हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । प्रार्थीया/रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 के समक्ष वाद के साथ प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 पेश कर कथन किया कि विवादित आराजियात खसरा नंबर 383 रकबा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 384 रकबा 44 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 44 बीघा 16 बिस्वा भूमि के खातेदार

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

कशतकार रेस्पो0 के दादा भोलू पुत्र गुल्ला थे जिनके स्वर्गवास पर वादग्रस्त आराजियात का विरासत नामांतकरण संख्या 152 दिनांक 2.6. 1992 से मृतक के स्थान पर रेस्पो0 के पिता सुवा पुत्र भोलू व अन्य वारिसान के नाम दर्ज किया गया जिससे वादग्रस्त आराजियात रेस्पो0 के लिए पैतृक आराजियात होकर वादग्रस्त आराजियात में से 1/15 हिस्सा रेस्पो0 का निहित है । अपीलांट ने विवादित आराजियात विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय किया जाने का कथन कर स्वअर्जित होने का कथन किया है । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है । विवादित आराजियात पक्षकारान की पैतृक आराजियात है अथवा अपीलांट की स्वअर्जित आराजियात है । तथा विवादित आराजियात में रेस्पो0 संख्या 1 को क्या हक व अधिकार प्राप्त होते है । इन सब तथ्यों का निर्धारण मूल वाद में बाद साक्ष्य किया जावेगा । यदि वाद के विचाराधीन रहते विवादित आराजियात का बैचान, हस्तातंरण, रहन, इत्यादि हो जाता है तो रेस्पो0 संख्या 1/प्रार्थीया द्वारा वाद प्रस्तुत करने का औचित्य ही समाप्त हो जावेगा । अधी0न्याया0 ने वाद के निस्तारण तक विवादित आराजियात के बैचान न करने तथा मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अपीलांट को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया है जिसमें हमें कोई अनियमितता प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.6.2018 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 31.8.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर